

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 20.

क्रमांक:- भू.अ. / 20 . /

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री गमेर प्रार्थिया पिता बेणा
दौलतपुरा प.ह. रोलाहेडा के राजख ग्राम दौलतपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078 -
2081 की खाता संख्या 41.165 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम प्रार्थिया किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम प्रार्थिया का अंकन राजख रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- 17/10/2025

क्रमांक:- रीडर / 2025 / 846

निमित्त,

पटवार हल्का रोलाहेडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने संबंधित।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री गमेर प्रार्थिया पिता बेणा
राजख ग्राम दौलतपुरा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 41.165 में
जाति/नाम गाडरी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति/नाम प्रार्थिया में
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंखा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री गमेर प्रार्थिया पिता बेणा
जाति/नाम प्रार्थिया एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. रोलाहेडा राजख रि.
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ